



क्रमांक : राज./संस्था/(SR/JR)/यूटीवी/2019/

दिनांक : /12/2019

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय की विज्ञप्ति क्रमांक MC/Recruitment/UTB/2019/1781 दिनांक 11.09.2019 के अनुसरण में दिनांक 14.12.19 को प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र एवं आयोजित किये गये साक्षात्कार (Walk-in-interview) में से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों (JR/SR) को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर एवं नीचे वर्णित शर्तों पर एतद द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

S.N	NAME OF CANDIDATE	POST	DEPARTMENT
1	Dr. Dayaram Meena	Junior Resident	Paediatrics
2	Dr. Girvesh	Junior Resident	Paediatrics

रेजिडेंट के कर्तव्य एवं शर्तें :-

1. अभ्यर्थियों को सात कार्यदिवस में अपनी उपस्थिति इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा अभ्यर्थी का चयन निरस्त माना जावेगा।
2. रेजिडेंट (सीनियर/जूनियर) के पद पर कार्य पूर्ण कालीन रेजिडेंट के रूप में करना होगा। किसी भी तरह की निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी, ऐसा पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
3. सीनियर रेजिडेंट को स्नातक विद्यार्थियों के शिक्षण प्रशिक्षण कार्य में भाग लेना होगा। जूनियर रेजिडेंट को आवश्यकतानुसार आकस्मिक विभाग सहित दूसरे विभागों में भी पदस्थ किया जा सकेगा।
4. एम.सी.आई. निरीक्षण के समय अनुपस्थित रहने या एम.सी.आई. निरीक्षक द्वारा अयोग्य पाये जाने पर सेवाएँ तत्काल प्रभाव से बिना किसी नोटिस के समाप्त कर दी जावेगी।
5. कार्यग्रहण के समय अभ्यर्थी को इस आशय का घोषणा पत्र (On Stamp Paper of Minimum Value Rs. 100) प्रस्तुत करना होगा कि-
 - अ. उसे किसी भी सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा संस्था में नियोजन प्राप्त करने के लिए अपात्र घोषित नहीं किया गया है।
 - ब. कदाचार के कारण पूर्व में उसकी सेवाएँ समाप्त नहीं की गई है।
 - स. उसके द्वारा पूर्व में की गई Residency (Senior Residency for post of SR and Junior Residency for post of JR) की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं है।
 - द. उसने शैक्षणिक सत्र 2019-20 के दौरान दिनांक 31.07.19 को या उसके बाद एम.सी.आई. निरीक्षण में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है।
6. जो अभ्यर्थी चयन से पूर्व स्थायी/अस्थायी तौर पर अन्य विशिष्टता/समान विशिष्टता में कार्यरत हैं, उन्हें इस चयन पर कार्यग्रहण करने से पूर्व उस विशिष्टता से कार्यमुक्त होना होगा।
7. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों पर राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी पर्सनल्स (रिक्रूमेंट एण्ड अदर कन्डीशन) एम्प्लॉयमेंट रूलस 2017 लागू होंगे।
8. कार्यरत कर्मचारी न्यूनतम एक माह की अवधि का नोटिस देकर त्यागपत्र दे सकेंगे। एक माह का नोटिस नहीं देने की स्थिति में त्यागपत्र स्वीकृत/सेवा समाप्त होने से पूर्व एक माह के वेतन की कटौती कर ली जावेगी।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
मैडीकल कॉलेज, भरतपुर
दिनांक : 17/12/2019

क्रमांक : राज./संस्था/(SR/JR)/यूटीवी/2019/2620

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- श्रीमान निदेशक राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी, राजस्थान जयपुर
- 2- नोडल अधिकारी को भेजकर लेख है कि वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 3- कार्यालय प्रति।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
मैडीकल कॉलेज, भरतपुर